History of Indian Newspapers
भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास

- At first, Portuguese brought printing press to India., Priests of Goa published first book in India in 1557. East India Company established a printing press in Bombay in 1684.
- भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा किया गया। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके पश्चात 1684 में बम्बई में एक प्रेस की स्थापना की।
- It was James Augustus Hikki who published the first newspaper in India with the name of "The Bengal Gazette" or "The Calcutta General Advertiser" in 1779-80 but his printing press was confiscated.
- जेम्स आगस्टस हिक्की ने पहली बार 1779-80 में भारत में अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र ''बंगाल गजट" या ''कलकत्ता जनरल एडवाइजर" का प्रकाशन किया लेकिन उनका प्रिंटिंग प्रेस नीलाम कर दिया गया।
- "Bengal Gazette" was the first paper to be published by an Indian in 1816 by Gangadhar Bhattacharya.
- "कलकत्ता गजट" किसी भी भारतीय (गंगाधर भट्टाचार्य) द्वारा 1816 में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था।
- James Silk Barkingham was 'Father of Modern Press'. Francis Gladwin published 'The Calcutta Gazette' in 1784.
- जेम्स सिल्क बर्किंघम 'आधुनिक प्रेस के जनक' थे। फ्रांसिस ग्लैडविन ने 1784 में 'कलकत्ता गजट' प्रकाशित किया।
- William Kerry and Marshman published 'Samachar Darshan' in 1818.
- विलियम केरी तथा मार्शमैन ने 1818 में 'समाचार दर्शन' नामक पत्र का सम्पादन किया।
- Ram Mohan Rai is considered as 'Founder of National Press'. He published Samvad Kaumudi (1821), Chandrica (1822) & Miratul Akhbar in 1822. Miratul Akhtar was the first Newspaper of Persian language. He is also known as Pioneer of Indian Journalism.
- राम मोहन राय को 'राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक' माना जाता है। उन्होंने संवाद कौमुदी (1821), चंद्रिका (1822) और 1822 में मिरातुल अखबार प्रकाशित किया। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। उन्हें भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है।
- 'Bangadutta' was published in 1822 by Prasanna Kumar, Ram Mohan Rai & Dwarikanath Tagore.
- 'बंगदत्त' 1822 में प्रसन्न कुमार, राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- Jam-i-Jahannuma was the first newspaper of Urdu language published by Harihar Dutta in 1822.

- ‘जाम-ए-जहाँनुमा’ 1822 में हरिहर दत्त द्वारा प्रकाशित उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र था।
- Bal Shastri Jambekar published ‘Bombay Darpan’ in 1832.
- बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1832 में 'बॉम्बे दर्पण' प्रकाशित किया।
- ‘Bombay Samachar’ was first newspaper of ‘Gujarati Language’ which was published by Jahangir Fardouji.
- 'बॉम्बे समाचार' 'गुजराती भाषा' का पहला समाचार पत्र था जिसे जहाँगीर फरदौजी ने प्रकाशित किया था।
- Dadabhai Nauroji published ‘Jam-i-Jamshed’ & ‘Raft-i-Goftar’ from Bombay in Gujarati language.
- दादाभाई नौरोजी ने ‘जाम-ए-जमशेद’ और ‘रफ़्त-ए-गोफ्तार’ का बंबई से गुजराती भाषा में प्रकाशन किया।
- Ishwar Chandra Vidyasagar published ‘Som Prakash’ in ‘Bengali language’. Vernacular Press Act was passed against it. It favoured Indigo producers.
- ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 'सोम प्रकाश' को 'बंगाली भाषा' में प्रकाशित किया। इसके खिलाफ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। इसने इंडिगो उत्पादकों का पक्ष लिया था।
- Shishir and Motilal Ghosh published ‘Amrita Bazar Patrika’ in 1868 in Bengali. It converted into English version to save itself.
- शिशिर एवं मोतीलाल घोष ने 1868 में बंगाली में 'अमृत बाजार पत्रिका' प्रकाशित की। स्वयं को बचाने के लिए यह अंग्रेजी संस्करण में परिवर्तित हो गया।
- ‘Indian Mirror’ newspaper was published by Devendra Nath Tagore and Manmohan Ghosh in 1861-62. Later it was handled by Keshav Chandra Sena.
- 'इंडियन मिरर' अखबार 1861-62 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद में इसे केशव चंद्र सेन ने संभाला।
- Maratha & Kesari newspapers were published by Tilak in English. Initially, it was published by Agarkar and Kelkar (Maratha).
- तिलक ने मराठा और केसरी समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। प्रारंभ में यह आगरकर और केलकर (मराठा) द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- ‘Udanta Martanda’ was published by Jugal Kishore and Mannu Thakur in Hindi in 1826. It was first newspaper published in Hindi.
- ‘उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन जुगल किशोर और मन्नू ठाकुर द्वारा 1826 में हिन्दी में किया गया था। यह हिन्दी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था।
- Krishtopal Das is considered as ‘Prince of Indian Journalism’.

DSC DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION

- क्रिष्टोपाल दास को 'भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार' माना जाता है।
- Madan Mohan Malviya published Daily 'Hindustan'.
- मदन मोहन मालवीय ने दैनिक 'हिन्दुस्तान' प्रकाशित किया।
- Marshman published 'Digdarshan' in Bangla in 1818. It was a monthly magazine. Later, he published 'Samachar Darpan' in Bangla language.
- मार्शमैन ने 1818 में बांग्ला में 'दिग्दर्शन' प्रकाशित किया। यह एक मासिक पत्रिका थी। बाद में उन्होंने बांग्ला भाषा में 'समाचार दर्पण' प्रकाशित किया।
- 'The National Herald' and 'Kaumi Awaz' newspapers were published by Jawahar Lal Nehru.
- जवाहर लाल नेहरू ने 'द नेशनल हेराल्ड' और 'कौमी आवाज' अखबार प्रकाशित किया।
- 'The Leader' newspaper was published by Pt. Madan Mohan Malviya.
- 'द लीडर' अखबार पं. मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- The British published following newspapers in India-
  - Times of India - 1861
  - Statesman - 1870
  - Friends of India - 1865
  - Madras Mail - 1865
  - Gazette of India - 1876
- अंग्रेजों ने भारत में निम्नलिखित समाचार पत्र प्रकाशित किए-

1- टाइम्स ऑफ इंडिया - 1861
2- स्टेट्समैन - 1870
3- फ्रेंड्स ऑफ़ इंडिया - 1865
4- मद्रास मेल - 1865
5- गजट ऑफ़ इंडिया - 1876

Important New Agencies of India

(भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियां)

1. Raytar - 1860

   (रायटर)

2. Associate Press of India - 1905

(एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया)

3. Free Press Newspapers - 1927

(फ्री प्रेस न्यूजपेपर्स)

4. United Press of India - 1934

(यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया)

Note- **1)** Lord Wellesley was the first Governor General who imposed censor on Indian Press.

2) Bal Gangadhar was the first journalist who was punished by British Government.

नोट- **1)** लॉर्ड वेलेस्ली पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारतीय प्रेस पर सेंसर लगाया था।

2) बाल गंगाधर पहले पत्रकार थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दंडित किया गया था

Acts related to Indian Newspapers

(भारतीय समाचारपत्रों से सम्बन्धित प्रमुख अधिनियम)

- First of all, Lord Wellesley censored all the Indian newspapers. As per this Act-
- सर्वप्रथम लार्ड वेलेजली ने भारतीय समाचार पत्रों के लिए सेंसरशिप अधिनियम लाया। इस अधिनियम के अनुसार-

1. Newspaper had to publish the name of editor, printer and owner mandatorily.

   समाचार पत्रों के लिए अपने प्रकाशक, मुद्रक तथा मालिक का नाम छापना अनिवार्य था।

1. Every element to be published had to undergo by the supervision of Secretary of Government for pre censorship.

प्रकाशित होने वाले प्रत्येक तथ्य का पूर्व सेंसरशिप के लिए सरकार के सचिव द्वारा जाँच की जाती थी।

2. Violation of these rules was subjected to immediate deportation. In 1807, this Act was imposed on all magazines, pamphlets and books.

इन नियमों के उल्लंघन की सजा तत्काल देश-निकाला थी। 1807 में यह अधिनियम सभी पत्रिकाओं, पर्चों और पुस्तकों पर लागू किया गया था।

- These rules were relaxed under Lord Hastings and pre censorship of newspapers was ceased in 1818. Against this wishes of his Council, Governor General refused to cease the license or deportation of James Birckingham, the editor of Calcutta General.

- लॉर्ड हेस्टिंग्स के तहत इन नियमों में ढील दी गई और 1818 में समाचार पत्रों की पूर्व सेंसरशिप समाप्त कर दी गई। अपने अधिवक्ता के इस इच्छा के विरुद्ध गवर्नर जनरल ने कलकत्ता जनरल के संपादक जेम्स बर्किंघम के लाइसेंस या निर्वासन को समाप्त करने से इनकार कर दिया।

- **The Licensing Regulations of 1823**

- **लाइसेंसिंग विनियम, 1823**

- John Adams, as a caretaker Governor General imposed heavy restrictions on newspaper in 1823. As per this Act-

- जॉन एडम्स ने कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में 1823 में अखबार पर कड़े प्रतिबन्ध लगाए। इस अधिनियम के अनुसार-

1. License was mandatory for printing and publishing.

छपाई और प्रकाशन के लिए लाइसेंस अनिवार्य था।

2. A penalty of Rs. 400 or jail was there for them, who printed or published any literature without license and the magistrate could forfeit the printing press.

बिना लाइसेंस के साहित्य प्रकाशन पर 400 रूपए का जुर्माना या जेल की सजा का प्रावधान था। मजिस्ट्रेट प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर सकता था।

3. Governor General was authorized to cancel one's license or to ask for new application.

गवर्नर जनरल को लाइसेंस रद्द करने या नया आवेदन मांगने का अधिकार था।

- Raja Ram Mohan Rai's 'Mirat-ul-Akhbar' get closed. After this act only three Bengali newspapers from Calcutta and one Persian newspaper survived. J.S. Birckinghum was also deported to England.

- राजा राम मोहन राय की 'मिरात-उल-अख़बार' बंद हो गई। इस अधिनियम के बाद कलकत्ता के केवल तीन बंगाली समाचार पत्र और एक फारसी समाचार पत्र शेष रह गया। जे.एस. बर्किंघम को भी इंग्लैंड भेज दिया गया था।

The Liberalization of Indian press, 1835

भारतीय प्रेस का उदारीकरण, 1835

- Lord William Bentinck had quite liberal stand toward Indian newspaper but it was Charles Metcalfe as care taker Governor General who got the credit to abolish obnoxious rules and

known as 'Liberator of Indian press'. As per new rules; the Printer and publisher had only to declare the whereabout of the publication. This law worked till 1856.

- लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारतीय समाचार पत्र के प्रति काफी उदार रुख था, लेकिन कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ को आपत्तिजनक नियमों को समाप्त करने का श्रेय मिला और उन्हें 'भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता' के रूप में जाना जाता है। नए नियमों के अनुसार; मुद्रक और प्रकाशक को केवल प्रकाशन के स्थान की घोषणा करनी थी। यह कानून 1856 तक लागू रहा।

Licensing Act of 1857

<u>1857 का लाइसेंसिंग अधिनियम</u>

- To tackle the emergency situation raised because of 1857 revolt, licensing system as per Rule No. 15 of 1857 Act again come in action. This empowered government to issue or cancel the license for printing press any time and mandatory licensing for printing press. This was only an emergency clause and remained for 1 year only. After that, rules of Metcalfe Act remained in business.
- 1857 के विद्रोह के कारण उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए, 1857 के नियम संख्या 15 के अनुसार लाइसेंस प्रणाली फिर से लागू हो गई। इसने सरकार को किसी भी समय प्रिंटिंग प्रेस के लिए लाइसेंस जारी करने या रद्द करने और प्रिंटिंग प्रेस के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया। यह केवल एक आपातकालीन व्यवस्था थी और केवल 1 वर्ष के लिए ही रहा। उसके बाद मेटकाफ एक्ट के नियम बने रहे।

Registration Act of 1867

<u>1867 का पंजीकरण अधिनियम</u>

- The aim of this act was to regulate the newspapers or printing press. The name and location of the Printer and Publishers was must on every printed book or newspaper.
- इस अधिनियम का उद्देश्य समाचार पत्रों या प्रिंटिंग प्रेस को विनियमित करना था। प्रत्येक मुद्रित पुस्तक या समाचार पत्र पर मुद्रक और प्रकाशन का नाम और स्थान अनिवार्य था।
- Besides it, a free specimen copy of book had to be submitted to local government within one weak of publication. This act was amended again in 1890, 1914, 1952 and 1953.
- इसके अलावा, प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर पुस्तक की एक मुफ्त प्रति स्थानीय सरकार को देना अनिवार्य था। इस अधिनियम में बाद में 1890, 1914, 1952 और 1953 में संशोधन किया गया।

- To tackle the seditious publications during Wahabi revolt in 1869-70, Article 124 of Indian Penal Code was extended to 124 (A) by an Act which had the provision of life term or monitory penalty.

- 1869-70 में वहाबी विद्रोह के दौरान देशद्रोही प्रकाशनों से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124 को एक अधिनियम 124 (ए) द्वारा विस्तार दिया गया जिसमें आजीवन कारावास या मौद्रिक दंड का प्रावधान था।

<u>**The Vernacular Press Act, 1878**</u>

वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1878

- There was an unprecedent increase in number of vernacular newspapers after 1857. These were quite abusive and criticized government. When 6 million people lost their life in famine of 1876-78; high spending on 'Delhi Durbar' by Lord Lytton was strongly criticized by vernacular newspapers. Hence Lytton passed the act to ban vernacular papers.

<u>As per this Act-</u>

- 1857 के बाद स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ये काफी अपमानजनक और सरकार की आलोचना करने वाले थे। जब 1876-78 के अकाल में 6 लाख लोगों की जान चली गई; लॉर्ड लिटन द्वारा 'दिल्ली दरबार' पर किए गए अत्यधिक खर्च की वर्नाक्युलर समाचार पत्रों द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी इसलिए लिटन ने वर्नाक्युलर समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया।

<u>इस अधिनियम के अनुसार-</u>

1. District Magistrate with the consent of local government was authorized to order any vernacular newspaper to sign a Bond paper of the notion that they wouldn't publish any material that was seditious or increase disaffection among various castes, class, people and religion of queen's subject. The District Magistrate could either fine or even forfeit the newspaper. Reiterating the crime could subject even the forfeiture of the printing press.

   स्थानीय निकाय की सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को किसी भी वर्नाक्युलर समाचार पत्र को इस शर्त के बांड पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जो राजद्रोह या रानी के प्रजा के विभिन्न जातियों, वर्गों और धर्म के विरुद्ध असंतोष बढ़ाए। जिला मजिस्ट्रेट जुर्माना लगाने / अपराध को दोहराने से प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त करने के लिए अधिकृत था।

2. Verdict of the magistrate was final and no appeal could be made in the court of law.

   मजिस्ट्रेट का फैसला अंतिम था और कानून की अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती थी।

3. To avoid the action in this Act, the newspaper had to submit the proof of its paper to government censor in advance.

इस अधिनियम में कार्रवाई से बचने के लिए अखबार को अपने पेपर का सबूत सरकारी सेंसर को पहले ही जमा करना होता था।

- The Act was nicknamed 'The Gagging Act'. It differentiated between English and Vernacular newspapers and no appeal could be made. Cases were lodged against 'Somprakash', 'Bharat Mihir', 'Dhaka Prakash', 'Sahchar' and many newspapers under this Act. Now, vernacular papers borrowed the news from English newspapers. To save itself from this Act, Amrit Bajar Patrika converted to English overnight.

- इस अधिनियम को 'द गैगिंग एक्ट' का उपनाम दिया गया था। यह अंग्रेजी और वर्नाक्युलर अखबारों के बीच अंतर पैदा करता था और कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इस अधिनियम के तहत 'सोमप्रकाश', 'भारत मिहिर', 'ढाका प्रकाश', 'सहचर' और कई अखबारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। देशी भाषा के अखबारों ने अंग्रेजी अखबारों से खबर लेना शुरू कर दिया। अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों-रात खुद को अंग्रेजी में परिवर्तित कर लिया।

- With the order of new Secretary of State of India Lord Kenbrook, pre-censorship article was abolished in September 1878. The office of commission for newspaper was created whose job was to provide true and real news. Lord Rippon cancelled this Act.

- भारत के नए राज्य सचिव लॉर्ड केनब्रुक के आदेश से सितंबर 1878 में पूर्व-सेंसरशिप अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। समाचार पत्र के लिए आयोग का कार्यालय बनाया गया था जिसका काम सही और वास्तविक समाचार प्रदान करना था। लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया ।

- As per the Act of 1898, Article 124 of Penal Code was re-established and elaborated with the addition of a new Article 153 A. Similarly, Article 505 of code was amended so as to convict those who spread sedition in army or inspire for it.

- 1898 के अधिनियम के अनुसार दंड संहिता के अनुच्छेद 124 को पुनः स्थापित किया गया और एक नए अनुच्छेद 153 ए के साथ विस्तृत किया गया। इसी तरह, संहिता के अनुच्छेद 505 में संशोधन किया गया ताकि सेना में देशद्रोह फैलाने या इसके लिए प्रेरित करने वालों को दोषी ठहराया जा सके।

The Newspaper Act, 1908

<u>समाचार पत्र अधिनियम, 1908</u>

- The Government was strictly criticized during Swadesi Movement in 1906. This Act came in action to repress this movement. It included-

- 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सरकार की कड़ी आलोचना की गई थी। इस अधिनियम का उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन को दबाना था। इसमें शामिल था-

1. Forfeiture of property and Printing Press of the newspaper which publish the material that motivate people for violence.

संपत्ति और प्रिंटिंग प्रेस की जब्ती जो ऐसी सामग्री प्रकाशित करती है जो लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करती थी।

2. Local government could cancel the declaration given to any Printer or Publisher under Registration Act for books and Newspapers Act 1867.

पुस्तक एवं समाचार पत्र अधिनियम 1867 के पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थानीय सरकार किसी भी मुद्रक या प्रकाशक को दी गई घोषणा को रद्द कर सकती थी।

3. The Printers and Publishers of newspaper could appeal in High court within 15 days of forfeiture.

समाचार पत्र के प्रिंटर और प्रकाशक जब्ती के 15 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते थी।

- Cases lodged against 9 newspapers and 7 forfeited under this Act.
- इस अधिनियम के तहत 9 अखबारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और 7 को जब्त कर दिया गया।

The Indian Press Act, 1910

भारतीय प्रेस अधिनियम, 1910

- The government made its control more stringent by it. As per this Act, local Government could ask for registration security upto Rs. 500-2000 from any publisher or printer. Government was authorized to forfeit the security or cancel registration. Government could ask security upto Rs.1000, Rs.1000 for re-registration and could cancel it again. The victim could appeal in a special tribunal under High Court within 2 months.
- सरकार ने इसके द्वारा अपने नियंत्रण को और सख्त कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकार पंजीकरण के लिए किसी भी प्रकाशक से 500 से 2000 रुपये ले सकती थी। सरकार को पंजीकरण सिक्योरिटी जब्त करने या पंजीकरण रद्द करने का अधिकार था। दोबारा पंजीकरण के लिए सरकार 1000 रुपये और 1000 रुपये तक की सिक्योरिटी ले सकती थी और इसे फिर से रद्द कर सकती थी पीड़ित 2 महीने के अंदर उच्च न्यायालय के तहत एक विशेष न्यायाधिकरण में अपील कर सकता था।
- Every publisher had to submit two free specimen copies to Government. Chief Custom Officer had the right to confiscate the objectionable imported items. 991 Printing Press and newspapers

came under net in this Act. 286 were warned strictly and heavy security was deposited by 705. Indian Defence Rules were imposed during the Ist World War in which political movements and free public criticism was not allowed.

- प्रत्येक प्रकाशक को दो निःशुल्क प्रतियाँ सरकार को देना होता था। मुख्य कस्टम अधिकारी को आपत्तिजनक वस्तुओं को जब्त करने का अधिकार था। 991 प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र इस अधिनियम के दायरे में आ गए। 286 को सख्त चेतावनी दी गई और 705 को भारी सिक्योरिटी जमा करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम लागू किए गए जिसमें राजनीतिक आंदोलन और स्वतंत्र सार्वजनिक आलोचना की अनुमति नहीं थी।

- A Newspaper Committee under Tej Bahadur Sapru (who was law member then) was appointed to review the law of newspapers. Act of 1908 and 1910 were abolished on its recommendations.

- समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा के लिए तेज बहादुर सप्रू (जो उस समय विधि-सदस्य थे) की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति नियुक्त की गई थी। इसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 के अधिनियम को समाप्त कर दिया गया।

The Indian press (Emergency Powers) Act 1931

भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम 1931

- With an ordinance in 1930, Government ordered to re-birth the provisions of 1910 Act because of Civil Disobedience Movement.

- सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1930 में एक अध्यादेश द्वारा सरकार ने 1910 अधिनियम के प्रावधानों को फिर से जन्म लागू करने का आदेश दिया।

- 1931 Act provided enormous powers to provincial states to suppress the spread of Civil Disobedience Movement as per Article 4(a).

- 1931 अधिनियम ने अनुच्छेद 4 (ए) के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार को दबाने के लिए प्रांतीय राज्यों को भारी शक्ति प्रदान की गयी।

- Expanding this Act, Criminal Amendment Act 1932 was made. Act 4 was elaborated widely and all activities that could harm the sovereignty of the government were included in it. Similarly, pre-censorship was re-imposed under India Defence Rule in the IInd World War. Newspapers emergency Act and Government Secrets Act were amended and even publishing news about Indian National Congress was illegal at one time. These powers earned by Government abolished in 1945.

- इस अधिनियम का विस्तार करते हुए आपराधिक संशोधन अधिनियम 1932 बनाया गया। अधिनियम 4 को विस्तृत किया गया था और सरकार की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली सभी गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया था। इसी तरह, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत रक्षा नियम के तहत पूर्व-सेंसरशिप को फिर से लागू किया गया था। समाचार पत्र आपातकालीन अधिनियम और सरकारी गोपनीयता अधिनियम में संशोधन किया गया और यहां तक कि एक समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में समाचार प्रकाशित करना अवैध था। सरकार द्वारा अर्जित इन शक्तियों को 1945 में समाप्त कर दिया गया।

Press Enquiry Committee

<u>प्रेस जांच समिति</u>

- In March, 1947, Government of India constituted Press Enquiry Committee and ordered to review the laws related to newspapers in the context of Fundamental Rights explained in constitution.
- मार्च 1947 में, भारत सरकार ने प्रेस जांच समिति का गठन किया और संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने का आदेश दिया।
- Its recommendations included abolition of 1931 Act, Amendment in Registration Act of newspapers and Books, modifications in Act. 124-A and 153-A of Indian Penal Code, abolition of Native States (Protection against Unrest) Act 1931 and Native States (Protection) Act 1934.
- इसकी सिफारिशों में 1931 अधिनियम की समाप्ति, समाचार पत्रों और पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम में संशोधन एवं भारतीय दंड संहिता के 124-ए और 153-ए अधिनियमों में संशोधन, नेटिव स्टेट्स (प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनरेस्ट) एक्ट, 1931 और नेटिव स्टेट्स (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1934 की समाप्ति शामिल थे।

The Press (Objectionable Matters) Act 1951

<u>प्रेस (आपत्तिजनक मामले) अधिनियम 1951</u>

- New constitution came in action in January 1950. Government amended Act-19 (2) and The Newspaper (Objectionable Matters) Act in 1951. It abolished Central and State Newspaper Act that prevailed that time. Government was authorized to ask for security, heavy security and forfeiture on publication of objectionable material. Government also had the right to forfeit some publications or restrict the mailing of objectionable material & destroy it, or its confiscation. Printing Press could also be confiscated. The victim had right to appeal in Jury. This Act lasted upto 1956.
- जनवरी 1950 में नया संविधान लागू हुआ। सरकार ने 1951 में अधिनियम- 19 (2) और समाचार पत्र (आपत्तिजनक मामले) अधिनियम में संशोधन किया। इसने तत्कालीन प्रचलित केंद्रीय और राज्य

समाचार पत्र अधिनियम को समाप्त कर दिया। आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर भारी सिक्योरिटी और जब्ती के लिए सरकार को अधिकृत किया गया था। सरकार को कुछ प्रकाशनों को जब्त करने या आपत्तिजनक सामग्री को प्रतिबंधित करने, नष्ट करने या इसे जब्त करने का भी अधिकार था। प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त किया जा सकता था। पीड़ित को न्यायालय में अपील करने का अधिकार था। यह अधिनियम 1956 तक चला।

- All India newspapers' Editors Conference and Indian Executive Journalists' Association protested against this Act. They requested government to set up an enquiry for the functioning of Indian Newspapers. Government accepted the request and appointed a Newspaper Commission under G. S. Rajyadhakshya. This commission submitted its report in 1954. It recommended to establish a Newspaper Council, adoption of Page Cost System, closing the crossword puzzles and a strict code for advertisement. It asked Government to make effort that there shouldn't be centralization of ownership.

- आल इंडिया न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स कॉन्फ्रेंस और इंडियन एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने इस अधिनियम का विरोध किया। उन्होंने सरकार से भारतीय समाचार पत्रों के कामकाज की जांच करने का अनुरोध किया। सरकार ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और जी. एस. राजाध्यक्ष के नेतृत्व में एक समाचार पत्र आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने एक समाचार पत्र परिषद की स्थापना, पृष्ठ लागत प्रणाली को अपनाने, वर्ग पहेली को बंद करने और विज्ञापन के लिए एक सख्त कोड की सिफारिश की। इसने सरकार से यह प्रयास करने को कहा कि स्वामित्व का केंद्रीकरण न हो।

- **Government has passed following Acts subsequently-**

  1. Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954
  2. Executive Generalist (Service Rules) and Miscellaneous Order Act, 1955
  3. Pages and cost of Newspapers Act, 1956
  4. Proceedings of Parliament (Protection & Publication) Act, 1960

- **सरकार ने बाद में निम्नलिखित अधिनियम पारित किए हैं-**

  1. पुस्तकों और समाचार पत्र वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954
  2. कार्यकारी सामान्यवादी (सेवा नियम) और विविध आदेश अधिनियम, 1955
  3. समाचार पत्र पृष्ठ और लागत अधिनियम, 1956
  4. संसदीय कार्यवाही (संरक्षण एवं प्रकाशन) अधिनियम, 1960

DSC DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION